न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 14/23 तारीख रज्जू– 12/09/23

1. रामरूप आयु 64 साल पुत्र श्री रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी। –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः– 06.12.2024

उपस्थित
1. अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ – अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 97/21 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सलारपुर के आराजी ख0नं0 48,54 रकबा 0.160 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एकतरफा कार्यावाही की है जो प्राकृति न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, जिससे साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से कब्जे से बदेखल किया गया हो। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है,साथ ही पटवारी हल्का द्वारा नवीन रिपोर्ट दिनांक 29/10/2024 में

6/12/24

या है कि उक्त वाद आराजीयात भूमि खाली है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त ल अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार कार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का सर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये ने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अवैधानिकता नहीं है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा पीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक पीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 9/10/2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात मौके पर खाली पड़ी हुई , लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से न्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण हीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/12/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी